पत्र सं०–08 / सं०(नि०)सु०परि०–07–14 / 2015 :–

झारखण्ड सरकार

जल संसाधन विभाग

आदेश

श्री विश्वनाथ बोईपोई, अधीक्षण अभियंता के विरूद्ध खरकई बाँध अंचल ईचा–चालियामा में पदस्थापन के दौरान बरती गयी अनियमितता के लिए सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली–1930 के नियम–55 के तहत् विभागीय संकल्प सं०– 2542 दिनांक– 09.05.2016 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गई। उक्त संचालित विभागीय कार्यवाही में श्री बोईपोई के विरूद्ध निम्नवत् आरोप प्रतिवेदित है :–

आरोप सं०– (i) वित्त नियमावली –1950 के नियम–29, नियम–30 के विभिन्न प्रावधान नियम–202(2) के विरूद्ध कार्य कर वित्तीय अनियमितता बरतना एवं SBD के नियम एवं शर्त्तों के विपरित मनमाने ढंग से निविदा के NIT के शर्त्तों को बदलना, अपने पद के दायित्व का निर्वहन नहीं करना तथा अधीनस्थ अधिकारियों को अनियमित कार्य करने हेतु प्रोत्साहित करना एवं बोर्ड प्रकीर्ण नियमावली–1958 के नियम–4 के प्रावधानों का उपयोग नहीं करते हुए तथाकथित अनियमित कार्य में सहयोग कराना राज्य सरकार के क्रिया कलाप को प्रभावित करना।

आरोप सं०– (ii) अपने पद के दायित्व का निर्वहन नहीं करना तथा अधीनस्थ अधिकारियों को अनियमित करने हेतु प्रोत्साहित करना तथा राज्य सरकार के क्रिया कलाप को प्रभावित करना।

2. उक्त संचालित विभागीय कार्यवाही में श्री शेखर कुमार वर्मा, झा०प्र०से०, (से०नि०) विभागीय जाँच पदाधिकारी को संचालन पदाधिकारी एवं श्री अशोक कुमार, मुख्य अभियंता, योजना मोनिटरिंग एवं आयोजन, राँची को प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नियुक्त किया गया।

3. संचालन पदाधिकारी के पत्रांक– 80 दिनांक– 27.02.2017 द्वारा विभागीय कार्यवाही का जाँच प्रतिवेदन समर्पित किया गया, जिसमें इनके विरूद्ध प्रतिवेदित आरोप को प्रमाणित प्रतिवेदित करते हुए मंतव्य दिया गया है, जो निम्नवत् है –

"आरोपित पदाधिकारी श्री बोईपोई, अधीक्षण अभियंता द्वारा वास्तुस्थिति के आलोक में तथ्यों का आकलन नहीं किया गया वरन आनन–फानन में upgradation के प्रस्ताव का अनुमोदन किया, के लिए उनके विरूद्ध आरोप बनता है, परन्तु उसका परिमार्जन संभव था और उसके लिए उनके द्वारा शुद्धिपत्र Corrigendum) का प्रस्ताव (प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी के अनुसार मात्र एक औपचारिक प्रस्ताव) भी मुख्य अभियंता को अग्रसारित किया गया, जिसे उनके द्वारा स्वीकृत नहीं किया गया। यहाँ उल्लेखनीय है कि मुख्य अभियंता ही प्रस्ताव को स्वीकृत करने हेतु सक्षम पदाधिकारी थे साथ ही अधीक्षण अभियंता के नियंत्री पदाधिकारी भी, तथापि चूँकि शुद्धिपत्र (Corrigendum) निर्गत करने संबंधी पत्र की प्रति आरोपी पदाधिकारी श्री बोईपोई को भी था, उन्हें चाहिए था कि शुद्धिपत्र Corrigendum) निर्गमन का प्रस्ताव जो उनके द्वारा मुख्य अभियंता को अग्रसारित किया गया, की सूचना मुख्य अभियंता, (मोनिटरिंग), जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची को आदेश के अनुपालन के क्रम में देते जो उनके द्वारा नहीं दिया गया, तदनुरूप वे इस बिन्दु पर उच्चाधिकारी के आदेश का अनुपालन नहीं किये, अपने क्रिया कलाप को इस बिन्दु पर पारदर्शी नहीं रख पाये एवं शुद्धिपत्र (Corrigendum) प्रस्ताव भेजने की मात्र औपचारिकता पूरी की संबंधी आरोप प्रमाणित होता है।"

4. संचालन पदाधिकारी द्वारा उपलब्ध कराये गये जाँच प्रतिवेदन एवं उसमें अंकित उक्त मंतव्य के अवलोकन से स्पष्ट है कि शुद्धिपत्र निर्गमन का प्रस्ताव, जो श्री

बोईपोई द्वारा मुख्य अभियंता को अग्रसारित किया गया, की सूचना मुख्य अभियंता, (मोनिटरिंग) के आदेश के अनुपालन में नहीं किया गया। श्री बोईपोई के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोप, इनके द्वारा विभागीय कार्यवाही के दौरान समर्पित बचाव बयान एवं संचालन पदाधिकारी के मंतव्य के समीक्षोपरान्त प्रमाणित आरोपों के लिए निम्न दण्ड प्रस्ताव के साथ विभागीय पत्रांक– 3628 दिनांक– 08.08.2017 द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा किया गया –

(i) निन्दन
(ii) पाँच वेतन वृद्धि पर संचयात्मक प्रभाव से रोक।
(iii) देय तिथि से पाँच वर्षों तक प्रोन्नति पर रोक।

5. उक्त द्वितीय कारण पृच्छा में प्रमाणित आरोपों यथा– वित्त नियमावली–1950 के नियम– 29, 30 के विभिन्न प्रावधान नियम–202(2) के विरूद्ध कार्य कर अनियमितता बरतना, SBD में निहित शर्त्तों से हटकर मनमाने ढंग से NIT के शर्त्तों को बदलना, जैसे अनियमित कार्य में सहयोग देने, अपने अधीनस्थ अधिकारियों को अनियमित कार्य करने हेतु प्रोत्साहित करने एवं राज्य सरकार के क्रिया–क्लाप को प्रभावित करने संबंधी आरोपों पर श्री बोईपोई द्वारा प्राप्त कोई नया तथ्य तथा साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया एवं उक्त आरोप का खण्डन करने में श्री बोईपोई असफल रहे हैं।

6. उक्त प्रमाणित आरोपों के लिए श्री विश्वनाथ बोईपोई, अधीक्षण अभियंता, खरकई बाँध अंचल ईचा–चालियामा द्वारा समर्पित द्वितीय कारण पृच्छा को अस्वीकृत करते हुए निम्न दण्ड संसूचित किया जाता है :–

(i) निन्दन
(ii) पाँच वेतन वृद्धि पर संचयात्मक प्रभाव से रोक।
(iii) देय तिथि से पाँच वर्षों तक प्रोन्नति पर रोक।

अतएव एतत् द्वारा सरकार के उक्त निर्णय को संसूचित किया जाता है।

उक्त आदेश पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह0/–
(विनय कुमार)
सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक .... / राँची, दिनांक ....

प्रतिलिपि : महालेखाकार (ले० एवं हक०), झारखण्ड, राँची / जिला कोषागार, सरायकेला–खरसावां / चाईबासा / संयुक्त सचिव (प्रबंधन), जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची / उप सचिव (प्र०), जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
(विनय कुमार)
सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक 1010 / राँची, दिनांक 08-02-18

प्रतिलिपि : प्रशासक, सुवर्णरेखा बहुद्देशीय परियोजना, आदित्यपुर, जमशेदपुर / मुख्य अभियंता, ईचा–गालूडीह कम्पलेक्स, आदित्यपुर, जमशेदपुर / श्री विश्वनाथ बोईपोई, अधीक्षण अभियंता, खरकई बाँध अंचल, ईचा–चालियामा / वेब मैनेजर, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

08/02/2018

(विनय कुमार)
सरकार के अवर सचिव

D:\MINZ\Letter\Order\08_J.S (N) _S.P._07_14_2015_(Vishwanath Boipoi).docx 4